

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1670

दिनांक 20/4/18

आदेश

सां.आ. 110/2018- आयोग के आदेश क्रमांक 4030/16.09.2014 (सां. आ. 96/2014) एवं 8129/17.11.2014 (सां. आ. 98/2014) के माध्यम से क्रमशः नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का चिन्ह एवं इसकी विशिष्टियां निर्धारित की गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं शब्दावली को परिवर्तित कर दिया गया है। चुनावों में एकरूपता बनाए रखने एवं मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग अपने उक्त आदेशों के द्वारा विहित किए गए 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं उसकी शब्दावली को एतद् द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार परिवर्तित करता है:-

नोटा (इनमें से कोई नहीं)



आयोग द्वारा जारी ऐसे समस्त आदेश जिनमें 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का संदर्भ दिया गया है, उन्हें उक्तानुसार संशोधित माना जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

20/4/18

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1671-76

दिनांक 20/4/18

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में प्रकाशित करावें।
6. लेखा शाखा/स्टोर शाखा/कम्प्यूटर शाखा राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव